

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2210/2026**

सरोज

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग , लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री पवन कुमार शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13**माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा, पुलिस थाना- बौंडी, जिला- बहराइच में पंजीकृत मु0 अपराध संख्या 005/2026, जो कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 (1), 140 (3), 61 (2) [जिनकी तत्स्थानी पूर्ववर्ती धाराएं क्रमशः 376, 365 और 120-ख भारतीय दंड संहिता हैं] के अंतर्गत दर्ज है, के वाद में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. वर्तमान वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 08.01.2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (1), 140 (3), 61 (2) (जिनकी तत्स्थानी पूर्ववर्ती धाराएं क्रमशः 376, 365 और 120-ख भारतीय दंड संहिता हैं) के अंतर्गत वर्तमान आवेदक सहित दो नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक और एक अन्य सह-अभियुक्त दिनांक 04.01.2026 को शाम लगभग 6 बजे वादी की बहन, जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष है, को बहला-फुसलाकर उसके साथ भाग गए। वे उसे जिला बहराइच से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। दिनांक 05.01.2026 को दोपहर लगभग 2 बजे, जब वादी अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहराइच रोडवेज की ओर जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि अभियुक्तगण उसकी बहन के साथ खड़े हैं और उन्हें देखकर वे भाग गए तथा हम उसकी बहन को वापस घर ले आए।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिनों के स्पष्टीकरण रहित विलंब से दर्ज कराई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत पीड़िता के बयान क्रमशः दिनांक 08.01.2026 और 12.01.2026 को दर्ज किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गए थे। अभियोजन पक्ष की कहानी में प्रमुख विरोधाभास और सुधार हैं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से इतर एक नई कहानी गढ़ी गई है।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि चिकित्सीय आख्या अभियोजन पक्ष के वाद का समर्थन नहीं करती है, यद्यपि उसकी प्रति वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की गई है।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। वह दिनांक 10.01.2026 से जेल में निरुद्ध है।

7. दूसरी ओर, प्राप्त निर्देशों के आधार पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता के बयान से आवेदक के विरुद्ध अपराध बनता है, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का खंडन करने में असमर्थ हैं।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता से यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पास चिकित्सीय आख्या उपलब्ध है, उन्होंने उत्तर दिया कि यह उनके पास उपलब्ध है, जिसे बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "हाइमन पहले से फटा हुआ" है। प्राथमिक चिकित्सीय राय है कि परीक्षण के समय चोट का कोई निशान नहीं है। नैदानिक रूप से यौन उत्पीड़न का कोई निशान नहीं है, हालाँकि यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन करने के पश्चात, यह पाया गया कि दिनांक 08.01.2026 को जब पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, तो उसने यह प्रकरण प्रस्तुत किया कि आवेदक और एक अन्य सह-अभियुक्त उसे अपनी मोटरसाइकिल पर खींचकर ले गए और उसे जंगल में ले गए जहाँ वर्तमान आवेदक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उन्होंने उसे उसकी बुआ के घर छोड़ दिया जहाँ वह पूरी रात रुकी और अगले दिन उसके पिता उसे वहाँ से ले गए। दिनांक 12.01.2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज उसके बयान में, उसने कहा है कि वे उसे खींचकर मोटरसाइकिल से मरौचा जंगल ले गए जहाँ अनिल पहले से मौजूद था, अतः एक नए व्यक्ति को शामिल किया गया है और उस नए व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि उसने उसके कपड़े उतारे और वर्तमान आवेदक ने उसकी लज्जा भंग की और उसके बाद उसे आवेदक की बहन के घर छोड़ दिया गया जहाँ वह रात में रुकी, अतः यहाँ एक और अभियुक्त को शामिल किया गया और ठहरने का स्थान बदल दिया गया। ये सभी बातें अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाती हैं और इससे विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। यौन उत्पीड़न का आरोप प्रथम दृष्टया चिकित्सीय साक्ष्य अर्थात् पीड़िता की चिकित्सीय आख्या से संपुष्ट नहीं होता है, इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, यह पाया गया है कि यह एक उपयुक्त वाद है जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

10. तदनुसार, यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. आवेदक **सरोज** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी(साक्षियों) पर दबाव नहीं बनाएगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (vii) जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो आवेदक साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (viii) आवेदक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

31 मार्च, 2026

आशीष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।